UNIVERSAL
LIBRARY

सेवा दल

मैन्युअल

फ़रवरी

१९४८

सेवादल का कार्य

कांग्रेस सेवादल

१ बालक-बालिकाओं और कुमार-कुमारिकाओं को शिक्षा देकर।

उनमें

राष्ट्रीय चारित्र्य और राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने का

तथा

२ सेवक और सेविकाओं में अनुशासन युक्त कुशल राष्ट्रीय सेवा की प्रवृत्ति का विकास करने का प्रयत्न करेगा

जिससे

वे स्वतंत्र भारत के आदर्श नागरिक बन सकें

सेवादल मैन्युअल

विषय सूची

विधान

भूमिका

सेवादल का कार्य

क. संघटन :—

१. प्रवेश
२. प्रतिज्ञा
३. अनुशासन-नियम
४. श्रेणियाँ
५. अधिकारी
६. अधिकारियों की न्यूनतम योग्यता
७. अधिकारियों का कर्तव्य
८. टुकड़ियों की बनावट
९. गणवेश
१०. बैज अथवा प्रतीक
११. अभिवादन
१२. सेवादल दिवस

ख. ट्रेनिंग अथवा शिक्षण

१. शिक्षणक्रम
२. प्रमाणपत्र और पदोन्नति

ग. राष्ट्रीय झंडा और अभिवादन

१. ध्वज

२. ध्वाज-स्तंभ

३. ध्वज-क्षेत्र

४. रचना व वंदन विधि

घ. पैदल कवायद

१. उद्देश्य

२. आज्ञा सूचक शब्द

नोट—इस कार्यालय के प्रकाशन तथा वे सब निर्देश जो इस पुस्तिका में दिये हुए निर्देशों के प्रतिकूल हों, रद्द समझे जायं ।

भूमिका

वस्तुतः कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत कांग्रेस सेवादल विधान का मूल हेतु विकेंद्रीकरण तथा प्रान्तों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करना है। फिर भी कार्यसमिति को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि कांग्रेस स्वयंसेवक संघटन में सारे देश में कुछ समानता रहे। कोई भी संघटन ऐसे किसी सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत के बिना उन्नति नहीं कर सकता जिसे सब ने साधारण प्रथम दर्शन के लिए स्वीकार न कर लिया हो और इसलिए प्रभावकर केंद्रीय निरीक्षण की आवश्यकता हुआ करती है। जिस बात को बचाना है वह यह है कि केन्द्र को कोई अच्छा संघटन के घटकों पर इस प्रकार न लादी जाय कि उनकी शक्ति का ह्रास हो। कोई व्यक्ति वा संघटन स्थायी विकास और उन्नति तभी कर सकता है जब अधिकार का इस प्रकार विकेंद्रीकरण हो जिसमें उसे अपने विवेक और विचार के अनुसार कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता रहे। संघटन संबंधी विकेंद्रीकरण तथा स्वतंत्रता में उपस्थित स्थिति के अनुसार भिन्नता हो सकती है। संघटन की शक्ति वस्तुतः केंद्रित वा विकेंद्रित होने में नहीं, बल्कि केंद्रीय संस्था द्वारा आवश्यक समझे गये कार्य को पूरा करने के लिए तुरंत तैयार होने और सामंजस्य रखते हुए तथा मिलकर कार्य करने की क्षमता में है। यह भूलना न चाहिए कि सेवादल, यद्यपि कोई फौजी संघटन नहीं है, तथापि वह निश्चय ही ऐसे कार्यकर्ताओं का अनुशासन परायण संघटन है, जो कांग्रेस, जनता, और देश की स्वेच्छापूर्वक और निस्वार्थ सेवा करने की भावना से प्रेरित हों। केंद्र द्वारा उचित मार्गदर्शन तथा सहायता और प्रान्तों द्वारा स्वेच्छापूर्वक आधीनता से ही सेवादल संघटन में कुछ एक रूपता आवेगी। और केंद्र, कार्यसमिति के नियमों में बताये गये विकेंद्रीकरण सिद्धांत को मानते हुए भी, सक्रिय, कार्यक्षम और सहायता देने योग्य हो सकेगा।

देश के कांग्रेस स्वयंसेवक संघटन में कार्यसमिति जैसी एकरूपता लाना चाहती है उसका तथा उपर्युक्त बातों का विचार करते हुए कुछ आदर्श नियम बनाये गये

हैं। स्थानीय परिस्थिति तथा आवश्यकताओं को देखते हुए प्रान्त इन नियमों में उपयुक्त वृद्धि कर सकते या तफसीलवार नियम बना सकते हैं बशर्ते कि ये उपर्युक्त नियमों के अनुकूल हों। जब कभी प्रान्त चाहेंगे राष्ट्रीय प्रधान कार्यालय बड़ी प्रसन्नता से उनका आगे का मार्ग दर्शन करेगा और तफसील के बारे में उन्हें सलाह देगा। इस पुस्तिका में बताये गये नियमों में मौलिक परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

जहां आवश्यक हो इस पुस्तिका का अनुवाद प्रान्तीय सेवादल समिति द्वारा प्रान्तीय भाषा में किया जा सकता है।

प्रधान मंत्री
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

इलाहाबाद
२ अक्टूबर, १९४७

क. संघटन

१. **प्रवेश**—किसी स्वयंसेवक (पुरुष या स्त्री) के भर्ती होते ही, उसे एक नायक के आधीन एक टुकड़ी में रख दिया जायगा। यही संघटन का प्रारंभ है। जिन बच्चों की अवस्था १२ वर्ष तक होगी वह बालक और बालिका कहे जायंगे। जिन लड़कों की अवस्था १७ वर्ष तक होगी वह कुमार और जिन लड़कियों की अवस्था १६ वर्ष तक होगी वह कुमारिकायें कहलायेंगी। १८ वर्ष से अधिक अवस्थावाले पुरुष और १७ वर्ष से अधिक अवस्थावाली महिलाएं क्रमशः सेवक और सेविका कहलायेंगे।

२. **प्रतिज्ञा**—१८ वर्ष से अधिक अवस्थावाले स्त्री पुरुषों को निम्नलिखित प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा।

'मैं, सेवादल का एक स्वयंसेवक सच्चाई के साथ यह प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि कांग्रेस सेवादल में रहकर कांग्रेस की नीति और आदेशों के अनुसार अपनी पूर्ण शक्ति से अपने देश और देशवासियों की सेवा करूंगा।

मैं जिन अधिकारियों की आधीनता में रहूंगा उनकी आज्ञाओं तथा सेवादल के समय समय पर निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं का सर्वथा पालन करूंगा।

कांग्रेस स्वयंसेवक के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि अपना शरीर सबल, बुद्धि सचेत तथा मन पवित्र रखूं।

तारीख हस्ताक्षर

(इस प्रतिज्ञापत्र के साथ एक ऐसा विवरणपत्र (फार्म) भी रहना चाहिए जिसमें अनुशासन के नियम और प्रार्थी के संबंध में विस्तृत सूचना दी गयी हो)

३. **अनुशासनके सामान्य नियम :—**

(अ) कांग्रेस स्वयंसेवक उस समय भी जब वह अपना गणवेश न पहने हो अथवा अपने नियोजित कार्य पर न हो तब भी वह कांग्रेस-जन और कांग्रेस स्वयंसेवक ही है।

(आ) विरोधी आज्ञाओं की दशा में उन्हीं आज्ञाओं का पालन होना चाहिए जो सबसे बड़े अधिकारी की ओर से प्राप्त हुई हो।

(इ) किसी अधिकारी की अनुपस्थिति में कार्यसंचालन का भार स्वयं उसके निकटतम सहायक पर आ जाता है। किसी भी संघटन में कार्य संचालन के भार की यह शृंखला क्रमशः उसके अन्तिम सदस्य तक पहुंचनी चाहिए।

(ई) गणवेश पहने हुए स्वयंसेवक जब एक दूसरे के समीप पहुंचें अथवा मिलें तो उन्हें अपने साथियों तथा अधिकारियों को, परस्परिक प्रेम, आदर, संघभाव तथा अनुशासन के चिन्ह स्वरूप एक दूसरे को अभिवादन करना चाहिए।

(उ) सेवादल संघटन के स्वयंसेवकों को सेवादल के प्रतीक (बैज) के अतिरिक्त और किसी अन्य प्रकार का प्रतीक अपने गणवेश पर नहीं लगाना चाहिए।

४. श्रेणियां (ग्रेड्स)

स्वयंसेवकों की मुख्यतः निम्नलिखित तीन श्रेणियां रहेंगी :—

(अ) सैनिक (शिक्षित)
(आ) मध्यम सैनिक
(इ) उच्च सैनिक

टिप्पणी—

(१) सेवादल का प्रत्येक सदस्य "स्वयंसेवक" समझा जायगा।

(२) जो स्वयंसेवक कम से कम प्रारंभिक शिक्षणक्रम की शिक्षा पा चुके हैं और सेवादल को अपनी सेवा समय समय पर देने के लिए तैयार हैं वे ही सैनिक समझे जायंगे।

(३) वे ही स्वयंसेवक जिन्होंने सेवादल की निर्दिष्ट शिक्षा प्राप्त की है और दलके अपने नियमित दैनिक कार्यक्रम के अतिरिक्त, कांग्रेस के प्रोग्राम के अनुसार किसी प्रकार के भी राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, मध्यम सैनिक समझे जायंगे।

(४) वे ही स्वयंसेवक उच्च श्रेणी के समझे जायं जिनमें प्रबंध तथा संघटन संबंधी कार्यों का अपने बूते पर संपन्न करने की योग्यता, शिक्षा देने या टुकड़ियों को नियंत्रित रखने की दक्षता हो। उनके लिए यह आवश्यक है कि वह सेवादल की निर्दिष्ट शिक्षा प्राप्त कर चुके हों।

साधारणतः अधिकारी उच्च श्रेणियों से ही लिये जायंगे।

५. अधिकारी :—

प्रान्त का प्रधान अधिकारी "दलपति" (जी० ओ० सी), जिले का "जिला

अधिनायक" (डिस्ट्रिक्ट अफसर), तालुका या तहसील का "तालुका या तहसील अधिनायक (तालुका या तहसील अफसर) और स्थानिक अधिकारी "स्थानिक अधिनायक" (लोकल अफसर) कहलाया जायगा।

उपर्युक्त अधिकारियों के व्यतिरिक्त हर प्रान्त, जिले तालुके या तहसील में साधारणतः शिक्षक (ट्रेनिंग अफसर) संघटक (आर्गनायजर) कार्यालय मंत्री (आफिस सेक्रेटरी) और नायक (यूनिट अफसर) भी होंगे।

कार्यभार की दृष्टि से अधिकारियों की संख्या घटायी या सहायकों की संख्या बढ़ायी जा सकेगी।

६. अधिकारियों की न्यूनतम योग्यता :—

आवश्यक शिक्षण (ट्रेनिंग) अनुभव, पर्याप्त समय और संभव हो तो पूरा समय देने की तैयारी और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से पूरा करने की क्षमता, यही अधिकारिओं की न्यूनतम आवश्यक योग्यता होगी।

७. अधिकारियों के काम :—

(१) दलपति :—

(अ) स्वयंसेवकों और अधिकारियों तथा समस्त संघटन की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से इसके ऊपर होगी।

(आ) वह शिक्षण की निगरानी और प्रत्यक्ष कार्यों का संचालन करेगा तथा संघटन क्षमता को स्थित रखेगा।

(इ) वह प्रान्तीय स्वयंसेवक बोर्ड द्वारा निश्चित नियमानुसार नियुक्ति, प्रवेश, पदच्युति, तथा पदोन्नति इत्यादि के संबंध में सिफारिश करेगा।

(ई) वह प्रधान राष्ट्रीय कार्यालय तथा उसके द्वारा दूसरे प्रान्तों से, एकरूपता, अखण्डता तथा समानता कायम रखने की दृष्टि से बराबर सम्पर्क रखेगा।

(उ) वह प्रान्त में दल की गतिविधि से प्रधान राष्ट्रीय कार्यालय को सूचित रखेगा।

(ऊ) वह वार्षिक कार्यक्रम तैयार करेगा और उसे कार्यान्वित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को काम सौंपेगा।

(२) शिक्षण :—

(अ) वह शिक्षणवर्ग तथा शिक्षण शिविरों का संचालन और पर्यवेक्षण करेगा।

(आ) वह दलपति के आदेशानुसार शिक्षाक्रम और अन्य साहित्य की रचना करेगा।

(इ) वह दलपति के आदेशानुसार ऊंची शिक्षा प्राप्त करने या सेवादल में उत्तरदायी पदों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को चुनेगा।

(३) संघटक :—

(अ) वह सेवादल के कार्य को सर्वप्रिय बनाने के लिए जनता में प्रचार करेगा, सेवादल में नये स्वयंसेवकों को भर्ती करेगा तथा जो पहले कार्य कर रहे हैं उन्हें उत्साहित करेगा।

(आ) वह कांग्रेस कमेटियों और कांग्रेस कार्यकारियों से निकट संबंध बनाये रखने के लिए उनसे संपर्क रखेगा।

(इ) दूसरी संस्थाओं और जनता में काम करनेवाले व्यक्तियों से संपर्क रखना जिससे सेवादल के लिए उनका समर्थन प्राप्त हो सके।

(४) कार्यालय मंत्री :—

(अ) वह दफ्तर के काम को ठीक ढंग से रखेगा। वह इसका ध्यान रखेगा कि रिपोर्ट विवरण आदि नियमित रूप से कार्यालय को मिलते रहें या कार्यालय से जाया करें तथा दैनिक पत्र-व्यवहार कार्य ठीक ठीक और समय से हों।

(आ) वह हिसाब रखेगा।

(इ) वह दल के भंडार का भार लेगा।

(५) टुकड़ी नायक :—

(अ) वह संख्या बल को कायम रखेगा, टुकड़ी को आवश्यक शिक्षा देगा और उसमें कार्यक्षमता और अनुशासन को बनाये रखेगा।

(आ) वह टुकड़ी की भलाई का ध्यान रखेगा और सदस्यों की शिकायतें दूर करेगा।

(इ) वह स्थानीय परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रम तैयार करेगा और सदस्यों को काम बांटेगा।

टिप्पणी :—प्रान्त के पथ-प्रदर्शन के लिए दिये गये उपर्युक्त नियमों के आधार पर जिला तहसील या तालुकों में काम करनेवाले अधिकारियों का काम निर्धारित किया जाय।

(८) टुकड़ियों की बनावट :—

(अ) सेवक और सेविकाओं का संघटन दस्ता (सेक्शन) जत्था (प्लटून) शतक (कंपनी) और पथक (बटालियन) में किया जायगा।

(आ) बालक बालिका, कुमार कुमारिकाओं का संघटन दस्ता (पेट्रोल) केंद्र (टुप) विभाग (डिविजन) और पथक में किया जायगा।

(इ) जिले में पथकों को अनुक्रमांक दिया जायगा।

(ई) टुकड़ियों के प्रमुख और उनके सहायक क्रमशः नायक और नायब कहलायेंगे।

(उ) भिन्न भिन्न टुकड़ियों का संख्याबल सामान्यतः निम्न-लिखित होगा।

सेवक और सेविकाएं

दस्ता	..	९ स्वयंसेवक (नायक सहित)
जत्था	..	४ दस्ते एक जत्था नायक और एक नायब।
शतक	..	३ जत्थे, एक शतक नायक और एक नायब।
पथक	..	३ शतक, एक पथक नायक और एक नायब।

बालक और बालिकाएं—कुमार कुमारिकाएं

दस्ता	..	९ स्वयंसेवक (नायक सहित)
केंद्र	..	४ दस्ते एक केंद्र नायक और एक नायब।
विभाग	..	३ केंद्र एक विभाग नायक और एक नायब।
पथक	..	३ विभाग, एक पथक नायक और एक नायब।

(९) गणवेश :—

(अ) अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय अधिकारी जिनमें दलपति भी सम्मिलित होगा, राष्ट्रीय प्रधान कार्यालय की स्वीकृति से निम्नलिखित गणवेश धारण करेंगे।

पुरुषों के लिए :—पूरी अस्तनी का बुशकोट जिसमें अलग हो सकनेवाली कन्धे की पट्टी (शोल्डर स्ट्रप) लगी होगी, पटलून या छोटा पतलून (केवल सेवा के समय) भूरे जूते (ब्राऊन सूज) गांधी काट की टोपी, जिसमें ऊपर नीचे सीवन होगी, और एक चमड़े का बंद रहेगा। टोपी का रंग गणवेश का रहेगा और बांई ओर झुकाकर वह लगायी जायगी। गणवेश का रंग २/५ खाकी होगा।

स्त्रियों के लिए :—साड़ी और आधे आस्तिन का बुश कोट जिसमें अलग हो सकनेवाली कन्धे की पट्टी लगी रहेगी। गणवेश का रंग सफेद होगा।

(आ) स्वयंसेवकों का गणवेश शुद्ध खादी होगा।

(१०) बैज अथवा प्रतीक :—

(अ) सेवादल के केवल शिक्षित स्वयंसेवक (सैनिक) ही राष्ट्रीय प्रधान कार्यालय द्वारा स्वीकृत आकृति के कांग्रेस सेवादल के पीतल के 'सैनिक बैज' दोनों कंधोंपर लगा सकेंगे। बैज में प्रान्त का नाम होगा। स्त्री सैनिक ब्लाउज के दाहिने कंधे पर सैनिक बैज लगायेगी।

(आ) राष्ट्रीय झंडे पर बने हुए अशोक चक्र से अंकित निकल की दुअन्नी के आकार का धातु का बैज जिसपर "सेवादल' खुदा रहेगा, सेवादल के प्रत्येक सदस्य को दिया जा सकता है जिसे वह सीने पर बांईं ओर साधारण कपड़े पर भी लगा सकेगा।

(इ) दलपति अपने गणवेश में कंधों पर केशरी पट्टी (शोल्डर स्ट्रैप्स) और दलपति का बैज लगायेगा। यह बैज राष्ट्रीय प्रधान कार्यालय से प्राप्त होगा। पदत्याग करने पर यह बैज तुरंत राष्ट्रीय प्रधान कार्यालय को लौटा देना पड़ेगा। जब कोई नयी नियुक्ति होगी तो फौरन ही दलपति बैज उसे भेजा जायगा।

(११) अभिवादन :—

सेवादल में नीचे लिखे अनुसार अभिवादन किया जायगा :—दाहिना पंजा निकटतम मार्ग से दाहिनी भौंह के कोने के एक इंच ऊपर फूर्ती के साथ लाया जायगा। उंगलियां खुली हुई और आपस में चिपकी हुई रहेंगी। तर्जनी का सिरा ललाट को छूता रहेगा। हथेली बाहर की ओर रहेगी और पंजा कनपटी से ४५ अंश का कोण बनावेगा। दो सेकंड तक इस दशा में रखने के बाद हाथ निकटतम मार्ग से फुर्ती के साथ पूर्व स्थिति पर लाया जायगा।

(१२) सेवादल दिवस :—

कांग्रेस सेवादल की सब शाखाएं दिसंबर मास के अंतिम रविवार को सेवादल दिवस मनायेंगी।

ख. ट्रेनिंग अथवा शिक्षण

(१) शिक्षाक्रम :—

शिक्षाक्रम की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी ।

(अ) प्रारंभिक शिक्षाक्रम

(आ) मध्यम सैनिक शिक्षाक्रम

(इ) विशेष शिक्षाक्रम

(१) दस्ता नायक शिक्षाक्रम

(२) केंद्रनायक शिक्षाक्रम

(३) विशिष्ठ विषय शिक्षाक्रम

(ई) उच्च सैनिक शिक्षाक्रम

(१) पूर्व शिक्षाक्रम

(२) पूर्वोत्तर शिक्षाक्रम

शिक्षाक्रम सामान्यतः शिबिर या स्वतंत्र वर्ग खोलकर समाप्त कर दिया जाया करेगा । शिक्षा सेवादल के दैनिक कार्यक्रमों का एक अंश भी रहेगा । बालक और बालिकाएं तथा कुमार और कुमारिकाएं शिक्षा के लिए नित्य प्रति एकत्र होंगी । सेवक और सेविकाएं यदि नित्य प्रति नहीं तो सप्ताह में कुछ निश्चित दिन एकत्र होंगी ।

बालक और बालिकाओं, कुमार और कुमारिकाओं तथा सेवक और सेविकाओं के शिक्षाक्रम में उम्र, समय और तात्कालिक आवश्यकताओं के विचार से अंतर रहेगा ।

(२) प्रमाणपत्र और पदोन्नति :—

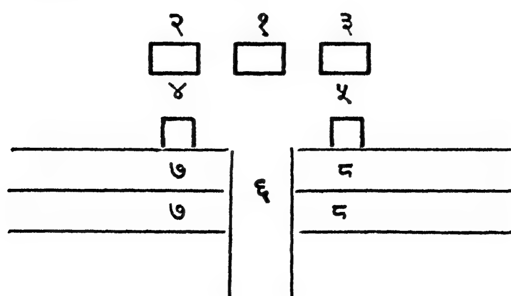
सेवादल के स्वयंसेवकों को प्रमाणपत्र देने या उनकी पदोन्नति करने के समय उनकी शिक्षा कार्यशक्ति, अनुभव, और सेवाकाल का पूरा ध्यान रक्खा जायगा ।

ग. राष्ट्रीय झंडा और अभिवादन

१. ध्वज :— तिरंगा—केसरी श्वेत और हरे रंग का होगा—जिसमें सफेद पट्टी के बीचोबीच पूरा चौड़ाई के बराबर गहरे नीले रंग का चक्र बना रहेगा। चक्र झंडे के दोनों ओर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। रस्सी बांधने के लिए उसके सिरे पर और नीचे की ओर रस्सी की दो मजबूत कड़ियां होनी चाहिए।

२. ध्वज स्तंभ—यह मजबूत और सीधा हो और यदि रंगा जाय तो सफेद हो। सिरे पर चडी या हुक लगा हो। यदि गड़ारी लगाई जायं तो वह ऐसी हों जो दोनों ओर से बंद हों। झंडा फहराने के लिए स्तंभ की लंबाई की दूनी से कुछ अधिक लंबी सफेद रस्सी लगायी जायगी। रस्सी स्तंभ से तीन क्रमिक घेरों में लपेटकर बांधी जायगी।

३. ध्वजक्षेत्र—साफ और समतल होगा, जैसा कि नीचे के नक्शे में दिखलाया गया है। (१) ध्वज स्तंभ (२) अध्यक्ष (३) ध्वजरक्षक (४) स्वयंसेवकों का सर्वप्रधान उपस्थित अधिकारी (५) कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि (६) मार्ग (७) सेवादल के अधिकारी (८) कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी। उपयुक्त स्थान में बैंड बाजा।



४. रचना—स्वयंसेवकों की रचना नाल के रूप में या चौकोन या एक कतार में की जायगी। उनकी टुकड़ियां एक के पीछे एक या एक के बगल में एक खड़ी की जायंगी और सब का मुंह झंडे की ओर रहेगा।

(५) बन्दन विधि :—

(अ) ध्वजरक्षक का ध्वजक्षेत्र के बाहर खड़े होकर चेतावनी के तौर पर जोर से सीटी बजाना।

(आ) बंदे मातरम का गायन धीरे धीरे परंतु ऊंचे स्वर में झिंझोटी राग में गाना।

(इ) अध्यक्ष द्वारा फहराया जाना।

(ई) अभिवादन—'सलामी आम—दो' की आज्ञा पर सब झंडे को देख कर अभिवादन करेंगे। फिर ध्वजरक्षक रस्सी को स्तंभ में बांध देगा और झंडे को देखकर सलाम करेगा। ध्वजरक्षक के साथ ही सब लोग अपना हाथ नीचे लायंगे।

(उ) "झंडा ऊंचा रहे हमारा" का गान। केवल पहला और अंतिम पद गाया जायगा।

(ऊ) अध्यक्ष द्वारा संक्षिप्त भाषण।

(ए) जय जयकार—"आज़ाद हिंद—जिंदाबाद", "कौमी नारा—बंदे मातरम"।

(ऐ) समाप्तिः—

टिप्पणियां—

१. पूरे समय के कैम्प में शाम को झंडा उतरते समय सेवादल के सभी स्वयं-सेवक सबेरे की तरह ध्वजक्षेत्र में खड़े हों और झंडा सलामी देकर नीचे उतार लिया जायगा। सुरक्षा की दृष्टि से झंडा तह लगाकर थैली में ध्वज-रक्षक के पास रख दिया जायगा। बंदेमातरम् और जय जयकार के बाद कार्यक्रम समाप्त होगा।

२. नियमानुसार झंडा अभिवादन हर महीने के अंतिम रविवार को ८ बजे सबेरे किया जायगा।

३. नयी वंदन विधि में सरलता की दृष्टि से अनावश्यक कवायद और कुछ अभिवादन घटा दिये गय हैं।

घ. पैदल कवायद

(१) उद्देश्य :—

(अ) कम से कम समय में तथा कम से कम परिश्रम से एक स्थिति से दूसरी स्थिति में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुंदर और अनुशासित ढंग से जाने की क्षमता किसी टुकड़ी में उत्पन्न करना यही कवायद का मुख्य उद्देश्य है।

(आ) कवायद से मनुष्यों में अपने अधिकृत नेता की आज्ञाओं को तुरंत और पूर्ण रूप से पालन करने की आदत पड़ती है और यही अनुशासन का मूल है। इस प्रकार मनुष्य एक नेता की देखरेख में काम करना सीखता है।

(इ) कवायद मनुष्यों को समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने व्यक्तित्व को समूह में विलीन होना सिखाती है और इस प्रकार वह टुकड़ी में काम करना सिखाता है।

(ई) कवायद मनुष्यों में अच्छी आदतें डालती है।

टिप्पड़ी :—कवायद में उसके ढंग को ही अधिक महत्त्व है। कवायद कुछ अच्छे ढंग में और बड़ी लगन के साथ की जानी चाहिए। अव्यवस्थित कवायद केवल बेकार ही नहीं, निश्चित रूप से हानिकारक भी है। इससे अनुशासन को हानि पहुंचती है।

(२) आज्ञा सूचक शब्द :—

१. फाल—इन	सज—जाव (दो कतार में)
२. स्काड—अटेन्शन	भाग हो—श्यार
३. स्टन्ड अेट—इज	आसान—हो
४. स्टन्ड—इज़ी	आराम—कर
५. राइट—ड्रेस	दाहिने सीध—लो
६. आईज—फ्रंट	साम्—देख
७. स्कड—नंबर	नफरी—गिन
८. राइट—टर्न	दाहिने—रुख

९. लेफ्ट—टर्न	बायें—रुख
१०. अबाउट—टर्न	घूम—जाव
११. राइट—इन क्लाइन	निम दाहिने—रुख
१२. लेफ्ट—इन क्लाइन	निम बायें—रुख
१३. ....पेसेस टु दि फ्रन्ट	....कदम आगे—जाव
१४. ....पेसेस स्टेप बॅक—मार्च	....कदम पीछे—जाव
१५. ....पेसेस राइट क्लोज—मार्च	....कदम दाहिने—जाव
१६. ....पेसेस लेफ्ट क्लोज—मार्च	....कदम बांए—जाव
१७. ओपन ऑर्डर—मार्च	कतार—खोल
१८. क्लोज ऑर्डर—मार्च	कतार—बंद
१९. फार्म—फोर्स	चार—कतार
२०. फार्म टू—डीप	दो—कतार
२१. स्काड—सेल्युट	सलाम—दो
२२. स्काड डिस—पर्स	फैल—जाव
२३. स्काड डिस—मिस	भाग बर—खास्त
२४. बाय दि राइट क्विक—मार्च	दाहिने सिधाई तेज—चल
२५. स्काड—हाल्ट	भाग रुक—जाव
२६. मार्क—टाइम	ताल से—कदम
२७. फार—वर्ड	चल—दो
२८. स्टेप—शार्ट	कदम—घटाव
२९. स्टेप—आउट	कदम—बढ़ाव
३०. डबल—मार्च	दौड़—चल
३१. स्लो—मार्च	धीरे—चल
३२. मुव टू दि राइट (लेफ़्ट) इन फोर्स, फार्म—फोर्स; राइट (लेफ़्ट)	दाहिने (बांयें) चलो, चार—कतार दाहिने (बांयें)
३३. राइट (लेफ्ट) ह्वील	दाहिने (बांयें) घूम
३४. फार्म सिंगल—फाइल	एक पंक्ति—बनाव
३५. फार्म टू—डीप, फार—वर्ड	दो पंक्ति—बनाव, चल—दो
३६. चेन्ज डिरेक्शन राइट (लेफ्ट), राइट (लेफ्ट)—फार्म; फार—वर्ड	रुख बदल दाहिने (बांयें), कतार—दाहिने (बांयें); चल—दो

३७. आन दी राइट (लेफ्ट) फार्म स्काड; फार-वर्ड	दाहिने (बांयें) कतार–बनाव; चल–दो
३८. अडव्हान्स इन सिंगल फाईल फ्राम दी राइट, क्विक–मार्च	दाहिने से एक पंक्तिमें आगे बढ़ो, तेज चल
३९. आइज–राइट (लेफ्ट)	दाहिने (बांयें) नि–घा
४०. जनरल–सल्यूट	सलामी आम–दो

विभिन्न आज्ञासूचक शब्द

अज यू–वेअर	जैसे–थे
चेन्ज–स्टेप्स	पांव–बदल
आन्सर दी–रोल	हाजरी–बोल
फार्म–सर्कल	चक्कर–बनाव
क्लोज–अप	मिल–जाव
कव्हर–अप	ढक–जाव
सिट–डाउन	बैठ–जाव
स्टेन्ड–अप	खड़े हो–जाव
ओपन रन्कस–मार्च	चार कतार खुल–जाव
रिफार्म रँक्स–मार्च	दो कतार मिल–जाव
नंबर्स इन–टूज	दो दो–गिन

सावधानसूचक शब्द

इन ए सिंगल रंक	एक कतार में
अट इन्टर व्हल्स	फासले पर
अकार्डिंग टू हाईट	उंचाई से
बाय दि राइट (लेफ्ट)	दाहिने (बांयें) सिधाई
दि स्काड वुईल अडव्हान्स (रिटायर)	भाग, आगे बढ़ो (पीछे हटो)
फ्रन्ट रन्क	अगली कतार
रियर रन्क	पिछली कतार
चेन्ज डिरेक्शन राइट (लेफ्ट)	रुख बदल दाहिने (बांयें)
मुव्ह टु दि राइट (लेफ्ट)	दाहिने (बांयें) चलो
बाय नंबर्स	रुकावट से

बाय जजिंग दी टाइम	एक साथ
डायगोनल मार्च	तिरछे चलो
फालो युग्रर लिडर	नायक के साथ
स्टेडी	ठीक
मार्कर	दर्शक

लाठीके साथ कवायद

ग्रार्डर–स्टाफ	बगल में–लो
स्लोप–स्टाफ	कंधे पर–लो
ट्रेल–स्टाफ	हाथ में–लो
ग्राऊंड–स्टाफ	रख–दो
पिक ग्रप–स्टाफ	उठा–लो
चेन्ज–स्टाफ	हाथ–बदल

विधान और नियम

अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति ने कांग्रेस सेवादल के लिए निम्नलिखित विधान और नियम स्वीकृत किये—

कांग्रेस स्वयंसेवक संघटन का नाम "कांग्रेस सेवादल" होगा।

कांग्रेस सेवादल के उद्देश्य इस प्रकार होंगे—

(१) युवकों में आत्मानुशासन, आत्मत्याग, आत्मविश्वास, सादगी, सेवा, सहिष्णुता तथा मिलकर और सहयोग के साथ काम करने और जीवन बिताने की पात्रता आदि गुण उत्पन्न करना जिससे

(क) उन्हें कांग्रेस की नीति तथा उद्देश्यों के अनुसार संघटित तथा अनुशासनपूर्ण राष्ट्रीय सेवा के लिए शिक्षा दी जा सके तथा

(ख) वे स्वतंत्र भारत के आदर्श नागरिक बन सकें;

(२) रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा, जाति और धर्म का बिना विचार किये, सब लोगों की सेवा करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना;

(३) व्यायाम की शिक्षा द्वारा भारतीय जनवर्ग का स्वास्थ्य और शरीर-सम्पत्ति सुधारना; तथा

(४) आवश्यकता के समय शान्ति तथा सहायक दल की भांति काम करना और लोगों की जान. माल तथा सम्मान की रक्षा करना।

देश में सेवादलों के संघटन का काम कार्यसमिति अपने एक सदस्य या किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपेगी।

इस सदस्य या व्यक्ति को इसके काम में सहायता देने के लिए पांच योग्य व्यक्तियों का बोर्ड होगा।

यह सदस्य या व्यक्ति प्रान्तीय सेवादलों में सामंजस्य लाने और उनका निरीक्षण तथा पथ-प्रदर्शन करने का काम करेगा। जो कार्य सब प्रान्तीय दलों के लिए समान हों, या वैसे पाये जायं, उदाहरणार्थ स्वयंसेवकों की शिक्षा, संघटन की कला स्वयंसेवकों के प्रतिज्ञापत्र का मसविदा बनाना, झंडा अभिवादन की प्रणाली, एक

सी वर्दी का प्रश्न आदि, उन्हें विकसित और कार्यान्वित करने में यह सदस्य प्रान्तों की मदद करेगा।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी प्रति वर्ष, या नियमों में बतायी गयी निश्चित अवधि के बाद, एक प्रान्तीय बोर्ड नियुक्त करेगी जो प्रान्त के स्वयंसेवक संघटन तथा आन्दोलन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। प्रान्तीय कांग्रेस सेवादल का जी० ओ० सी० इस बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का एक मंत्री इस बोर्ड के मंत्री का काम करेगा।

प्रान्तीय स्वयंसेवक बोर्ड अखिल भारतीय स्वयंसेवक कार्य के इंचार्ज सदस्य या व्यक्ति की मंजूरी से प्रान्तीय कांग्रेस सेवादल के लिए जी० ओ० सी० नियुक्त करेगा, जिसकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होगी।

कांग्रेस सेवादलों में तीन वर्ग होंगे—(१) बाल, (२) कुमार-कुमारी तथा (३) प्रौढ़।

स्वयंसेवक संघटन कांग्रेस की दलगत राजनीति से अलग रहेगा और इसके किसी अफ़सर को कांग्रेस संघटन में किसी निर्वाचित पद पर रहने का अधिकार न होगा पर वे वोट देने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। प्रारंभिक ग्राम कमेटियों के मामले में इस नियम को प्रान्तीय जी० ओ० सी० ढीला कर सकता है।

स्वयंसेवकों को पारिश्रमिक की आशा नहीं करनी चाहिए। उनका काम अवैतनिक होगा पर पूरा समय देनेवाले अफ़सरों और इंस्पेक्टरों को वेतन दिया जा सकता है।

कोई कांग्रेसजन कांग्रेस सेवादल के अतिरिक्त कोई स्वयंसेवक दल संघटित न करेगा और न किसी ऐसे दल में शामिल होगा।

प्रान्तीय स्वयंसेवक बोर्ड प्रान्त में स्वयंसेवक संबंधी कार्य करने के लिए नियम बनावेगा, जो इस संबंध में कार्यसमिति द्वारा बनाये गये नियमों के प्रतिकूल न होंगे।

प्रान्तीय स्वयंसेवक बोर्ड को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की सहमति से आवश्यक ख़र्च के लिए कोष-संग्रह करने का अधिकार होगा।

प्रकाशक—आचार्य जुगलकिशोर, प्रधान मंत्री, अखिल
भारतीय कांग्रेस कमेटी स्वराजभवन, इलाहाबाद
मुद्रक—जे० के० शर्मा, इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद